न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्या : 84/2016 एल.आर.एक्ट

राम प्रताप पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी 5 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. बाधूदेवी पत्नि शेराराम जाति नायक निवासी चक 15 (ए) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. अर्जनराम पुत्र नाथिया जाति नायक निवासी चक 5 के. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत चक 8 के. (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थित :— श्री संजय बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट
श्री जयचन्द लाल सारस्वत — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अनूपगढ के निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

1— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 के. तहसील अनूपगढ के मुरब्बा 197/28 के किला नं. 14 का 0.026 हैक्टेयर, किला नं. 17 का 0.253 हैक्टेयर एवं किला नं. 24 का 0.227 हैक्टेयर कुल 0.506 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि खातेदार रेस्पो. सं. 2 अर्जुनराम पुत्र नाथिया ने जरिये बैयनामा दिनांक 30.04.2014 को रेस्पो.सं. 1 के पक्ष में बेचान कर दी थी। इसी कृषि भूमि का दानपत्र अपीलांट के पक्ष में भी दिनांक 02.03.2016 को पुनः उप पंजीयक, अनूपगढ में पंजीबद्ध करवा दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील में सुनवाई करते हुए न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत, 8 के बी द्वारा अपीलांट के नाम से दानपत्र के आधार पर दर्ज इंतकाल सं. 265 दिनांक 05.03.2016 को निरस्त कर रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम से इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये, जिससे व्यथित होकर यह अपील हमारे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का कूटरचित बैयनामा अपने नाम से उप पंजीयक, अनूपगढ में पंजीबद्ध करवा लिया था, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि जरिये दानपत्र दिनांक 02.03.2016 को रूबरू गवाहान अनूपगढ उप पंजीयक के कार्यालय में अपीलांट रामप्रताप के पक्ष में करवा दिया था। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.03.2016 अपीलांट के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका था, जो ग्राम पंचायत द्वारा मजमेआम में स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। रेस्पो0सं. 1 द्वारा उक्त बैयनामा अपने पक्ष में वर्ष 2014 में ही निष्पादित करना बतलाया है तथा बैयनामा निष्पादित करने के दो वर्ष पश्चात् भी रेस्पोडेंट सं. 1 ने बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की थी और ना ही रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपनी अपील में इस नामान्तरकरण कार्यवाही न करने का कोई समुचित कारण बतलाया। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलांट को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प में पेश होने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.05.2016 में यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट को जरिये दूरभाष मोबाईल पर सूचित किया गया जो कि सरासर गलत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सरपंच के साक्ष्य के आधार पर ही नामान्तरकरण का फैसला कर दिया जबकि कन्टेस्ट प्रकरणों में दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही फैसले किये जाने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 बाधुदेवी के पक्ष में तैयार किया गया फर्जी बैयनामा दिनांक 30.04.2014 को शून्य, अवैध व प्रभावहीन घोषित करवाने बाबत एक वाद पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश, अनूपगढ में पेश किया है, जो वर्तमान में जेरकार है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अर्जनराम ने वादग्रस्त कृषि भूमि का बैयनामा रेस्पो.सं. 1 के पक्ष में दिनांक 30.04.2014 को रूबरू गवाहान उप पंजीयक, अनूपगढ के समक्ष निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया है, जिसकी जानकारी अपीलांट एवं रेस्पो.सं. 2 को भी थी। रेस्पों. सं. 2 ने बाद में अपीलांट के हक में इसी कृषि भूमि का दानपत्र भी निष्पादित करवा दिया। इस प्रकार रेस्पो. सं. 2 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 बाधूदेवी के पक्ष में पहले बैयनामा पंजीबद्ध करवाया जाना ही विधिक रूप से सही माना जावेगा। अपीलांट ने ग्राम पंचायत को उक्त बैयनामा के संबधं में कोई जानकारी नहीं दी, तथ्यों को छुपा कर ग्राम पंचायत को अपने विश्वास में लेकर एकतरफा इंतकाल जरिये दानपत्र अपने हक में स्वीकृत करवा लिया। रेस्पो.सं. 1 ने न्याय आपके

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वार कैम्प में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपने हक में हुए बैयनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल सं. 265 को निरस्त करते हुए इंतकाल अपने नाम चढाने के लिये अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने मजमे आम में सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत से अनापति लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो न्यायहित में सही है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए यह अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा दो अलग–अलग दस्तावेज तहरीर व तकमील किये गये हैं। प्रथम बैयनामा रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष में दिनांक 30.04.3014 को पंजीबद्ध करवाया तत्पश्चात् अपीलांट के पक्ष में एक दानपत्र दिनांक 02.03.2016 को पंजीबद्ध करवाया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दान पत्र को सही ठहराते हुए रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में किये गये बैयनामा को फर्जी व कूट रचित बताया है, जबकि विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध निर्णयानुसार बाधुदेवी के हक में निष्पादित बैयनामा के संबंध में सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत की अनापति के साथ न्याय आपके द्वार केम्प में मजमे आम में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित प्रतीत होता है। विद्वान अभिभाषाक अपीलांट ने वरवक्त बहस बैयनामा को फर्जी दस्तावेज बताया है परन्तु इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। रेस्पोडेंट सं. 1 बाधुदेवी के पक्ष में निष्पादित बैयनामा रूबरू गवाहान उप पंजीयक, अनूपगढ द्वारा विधि पूर्वक पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार हम अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

5— अतः उपरोक्त विवेचना को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अनूपगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर